राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.17(1)शिक्षा-2/2002 जयपुर,दिनांकः 8 5 07

१. आयुक्त,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

२. आयुक्त,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर।

३. निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान जयपुर।

विषयः—वर्ष 2007—08 में शिक्षा विभागीय कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कलेण्डर।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2007—08 मे शिक्षा विभागीय कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार कलेण्डर घोषित किया जाता हैः—

1. इच्छुक कार्मिक 20 मई तक निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा 10 जून तक आवेदन पत्रों मे दिये तथ्यों की पुष्टि कर पद/संवर्गवार अभिलेख संधारण किया जाकर संवीक्षा करेंगे।
3. सक्षम अधिकारी 11 से 20 जून तक स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगें; सक्षम अधिकारी निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही स्थानान्तरण की कार्यवाही करेंगे।
4 सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं शासन को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माने जावेगें।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(के0 के0 सिंघल)
शासन उप सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षामंत्री महोदय/शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा/शासन सचिव, स्कूल शिक्षा
3. उपशासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/उपशासन सचिव तृतीय।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. समस्त उपनिदेशक, (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा) शिक्षा विभाग राजस्थान।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा)।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, उपशासन सचिव, प्रथम सचिवालय जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव शिक्षा